



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276809
CG-DL-E-06102026-276809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5166]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5166]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5374(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 5134 (अ) दिनांक 29 नवम्बर 2024 भारत के राज पत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 5134 (अ) दिनांक 29 नवम्बर 2024 के दिनांकित में निम्नांकित संशोधन करती है।

आवश्यक संशोधनों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले		संशोधित
	जगह	मामले का विवरण	
1	क्रमांक 1, स्तंभ 2	सक्षम प्राधिकारी - अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कुशीनगर	सक्षम प्राधिकारी- उप जिलाधिकारी (न्यायिक), हाटा, कुशीनगर

फुटनोट:-मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5134 (अ), दिनांक 29 नवम्बर 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-727/LA/2022-23]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5374(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5134(E), dated 29th November, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 5134(E) dated 29th November, 2024 namely:

Details of amendment required are as under-

SI. No.	Matter in principal notification/subsequent notification that requires amendment		Matter to be amended as
	Location	Details of matter	
1	Serial No. 1, Column 2	Competent Authority- ADM (Judicial), Kushinagar	Competent Authority- SDM (Judicial), Hata, Kushinagar

Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 5134 (E), Dated 29th November 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii)

[F. No. CE-RO/LKO/NH-727/LA/2022-23]

SHAIKH AMINKHAN, Director